इकाई 16 भारत की राजनीति में महात्मा गांधी जी का आगमन और उनकी विचारधारा

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे कि :

- दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था,
- प्रवासी भारतीयों की स्थिति में सुधार करने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या प्रयास किये,
- चंपारन और खेड़ा में किसान आंदोलन क्यों हुआ और गांधी जी ने किसानों के लिए क्या कार्य किये,
- अहमदाबाद के श्रमिकों की हड़ताल के दौरान गांधी जी की क्या भूमिका रही,
- रौलट सत्याग्रह में गांधी जी का क्या योगदान था, और उनकी विचारधारा क्या थी।

16.1 प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उसकी विचारधारा, दिशा और स्वरूप को परिवर्तित करने में महात्मा गांधी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में उनके आगमन के उपरांत संघर्ष का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को लामबंद करना अब इस संघर्ष का आधार बना। इस समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन पर छाये रहे। इस इकाई के अंतर्गत हम आपको दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा छेड़े गये संघर्ष से अवगत कराएंगे और इसके साथ-साथ 1920 तक भारत में गांधी जी की राजनीतिक गतिविधियों का भी ज़िक्र करेंगे। यह एक ऐसा काल है जिसे गांधी जी की

धारणाओं की प्रारंभिक अवस्था का काल कहा जा सकता है– एक ऐसी अवस्था जिसमें गांधी जी भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे। इस युग में ही गांधी जी ने संघर्ष के नये तरीकों का प्रयोग किया। इस इकाई में हम उनकी विचारधारा पर भी चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि अपनी विचारधारा को उन्होंने राजनीति में किस प्रकार से एक व्यावहारिक रूप दिया।

16.2 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष

मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हुए, का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 के दिन पोरबंदर (काठियावाड़, गुजरात) में एक परंपरागत हिन्दू परिवार में हुआ था। 1881 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गये, उन्होंने लंदन में मैट्रीक्यूलेशन पास किया और वकील बनने की योग्यता प्राप्त की। 1891 में यह युवा वकील भारत लौटा और बंबई के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। एक वकील के रूप में जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने राजकोट जाकर अर्ज़ी लिखने का कार्य प्रारंभ किया जिससे कि उसे लगभग 300 रुपये महीने की आमदनी होती थी। 1893 में गाँधी जी डरबन गये। यह यात्रा उन्होंने भारतीय फ़र्म दादा अबदुल्ला एण्ड कंपनी के मुकदमें के संदर्भ में की थी। यह कंपनी दक्षिण अफ्रीका में व्यापाररत थी। यद्यपि गांधी जी केवल एक वर्ष के लिए वहाँ पर गये किन्तु वे 1914 तक (इस बीच वे दो बार भारत भी आये) वहाँ रहे। दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। वास्तव में वहाँ की सरकार की रंग भेद नीति के कारण भारतीय समुदाय को कोई भी ऐसा मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं था जो कि एक सभ्य जीवन जीने के लिए आवश्यक था।

16.2.1 भारतीयों की स्थिति

उन दिनों लगभग दो लाख भारतीय, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। इनमें से अधिकांश अनुबंधित मज़दूर और स्वतंत्र मज़दूर थे। कुछ व्यापारी थे और कुछ उनके क्लर्क और सहायक। खेत बागान मालिक अनुबंधित मजदूरों के साथ अर्ध दासों जैसा व्यवहार करते थे। अन्य भारतीयों को रंग भेद की नीति से उत्पन्न अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो कि नागरिक अधिकार, व्यापारिक और सम्पत्ति के अधिकार से संबंधित थीं। अपने दैनिक जीवन में उन्हें अनेक प्रकार के अपमानों का सामना करना पड़ता था :

- प्रत्येक भारतीय को बिना किसी फ़र्क के कुली कहकर पुकारा जाता था,
- भारतीयों को फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं थी और रात में वे बिना परमिट के नहीं निकल सकते थे,
- भारतीय रेलगाड़ी में प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा भी नहीं कर सकते थे और अक्सर उन्हें रेल के डिब्बे के पायदान पर ही खड़े होकर यात्रा करने पर बाध्य किया जाता था,
- जो होटल पूर्णतः यूरोपियों के लिए आरक्षित थे उनमें भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी,
- ट्रांसवाल में भारतीयों को रहने के लिए और व्यापार के लिए एक निश्चित क्षेत्र दिया गया था। यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकर थे, न तो वहाँ पानी और बिजली की ही उचित व्यवस्था थी और न ही नालियों की,
- इसके अतिरिक्त जो पहले अनुबंधित मजदूर रह चुके थे उन्हें तीन पाऊंड मतगणना का कर देना पड़ता था।

16.2.2 अभियान-1

रंग भेद की इस नीति का अनुभव गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका पहुँचते ही हो गया था। डरबन के एक न्यायालय में यूरोपीय न्यायाधीश ने गांधी जी को अपनी पगडी उतारने का हुक्म दिया था, परंतु गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और विरोध में कमरे से बाहर चले गये। इसी प्रकार परेडोरिन जाते हुए गांधी जी को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गयी और उनसे वैन वाले डिब्बे में जाने को कहा गया। जब गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें बलपूर्वक डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। परंतु नैटल की सरकार ने

जब एक ऐसा विधेयक प्रस्तावित किया जो कि प्रवासी भारतीयों से मताधिकार वापस ले लिए जाने का सुझाव रखता था तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष छेड़ने के लिए तत्पर हो गये।

जब विदाई के समय गांधी जी के सम्मान में एक भोज दिया गया तो उस समय गांधी जी ने उपर्युक्त प्रस्तावित बिल को पारित किये जाने के संदर्भ में खबर पढ़ी। गांधी जी इससे उत्तेजित हो उठे और उन्होंने यह कहा कि "हमारे कफ़न में यह पहली कील है।" भारतीय व्यापारियों ने इस बिल के विरुद्ध गांधी जी से सहयोग माँगा। गांधी जी ने भारत लौटने के अपने इरादे को स्थगित कर दिया। वास्तव में यह विदाई समारोह, बिल के विरुद्ध संघर्ष की एक सभा के रूप में बदल गया।

संघर्ष को मज़बूत करने के लिए गांधी जी का पहला प्रयास यह था कि नैटल में रहने वाले भारतीय समुदाय के विभिन्न घटकों को एकता के सूत्र में बाँध सकें। इस उद्देश्य से प्रेरित हो 1893 में उन्होंने इंडियन नैटल ओरगेनाइज़ेशन नामक सभा की स्थापना की। इसके साथ-साथ गांधी जी का यह भी प्रयास था कि भारतीयों के कष्टों का अधिक से अधिक प्रचार किया जा सके जिससे कि उन्हें भारत और इंग्लैंड की स्त्रियों और जनता से मदद मिल सके। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विधेयक के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया और इसी प्रकार इंग्लैंड में भी कुछ अखबारों और गणमान्य व्यक्तियों ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए किये जा रहे संघर्ष के प्रति सहानुभूति प्रकट की।

नैटल में रह रहे लगभग 400 भारतीयों ने उक्त विधेयक के विरुद्ध सरकार को अर्ज़ी दी, परंतु नैटल की विधान सभा ने बिल पारित कर दिया और यहाँ तक कि वहाँ के राज्यपाल ने भी उस पर सहमति दे दी। गांधी जी ने लगभग 10 हज़ार भारतीयों से हस्ताक्षर करवा कर एक लंबी अर्ज़ी इंग्लैंड के औपनिवेशिक सचिव को भेजी जिसमें यह अपील की गयी थी कि महारानी विक्टोरिया इस विधेयक को सहमति न दें। इस प्रकार सशक्त विरोध के कारण लंदन के औपनिवेशिक कार्यालय ने इस बिल को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह अंग्रेजी साम्राज्य के एक हिस्से के बाशिंदों के विरुद्ध साम्राज्य के दूसरे हिस्से में भेद करता है। लेकिन इसका नैटल में रहने वाले यूरोपियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कुछ परिवर्तन कर बिल को पारित कर दिया। अब इस परिवर्तित बिल के अनुसार किसी भी गैर यूरोपीय देशों के व्यक्ति को जिन देशों में कि अभी तक ऐसा संगठन नहीं है, जो कि संसदीय मताधिकार प्रणाली पर स्थापित हो, मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब तक की उसे गवर्नर जरनल से जाकर न मिल जाये। इस परिवर्तित विधेयक को मान्यता दे दी गयी

गांधी जी ने रंग भेद के विरुद्ध अपना संघर्ष लेख आदि लिखकर जारी रखा क्योंकि वे जनता की सहायता प्राप्त करना चाहते थे। इससे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कई यूरोपीय उत्तेजित हो उठे। 1886 में जब गांधी जी अपने परिवार के साथ नटाल पहुँचे तो उनका विरोध करने के लिये लगभग 4,000 यूरोपियों का समूह वहाँ था। कुछ लोगों ने उनपर हमला भी किया परंतु एक उच्च सैनिक अधिकारी की पत्नी द्वारा गांधी जी बचा लिये गये। यह घटना भी गांधी जी को अपना संघर्ष जारी रखने से निरुत्साहित नहीं कर पायी। अपनी अगली भारत यात्रा में गांधी जी ने क्वेटा में कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया और इस अधिवेशन में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पास कराने में सफलता प्राप्त की। 1902 में गांधी पुनः दक्षिण अफ्रीका लौटे और 12 वर्ष तक वहाँ पर रह कर उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया। 1903 में उन्होंने 'इंडियन ओपीनियन' नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया जिसके द्वारा उनके संघर्ष का प्रचार किया जाता था। 1904 में गांधी जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ डरबन के निकट फौनिक्स नामक स्थान पर रहने लगे। यहाँ के लोग अत्यंत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। फौनिक्स की महत्ता यह है कि आगे चलकर इसके सभी निवासियों ने गांधी जी के सत्याग्रह में हिस्सा लिया।

गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक बार यह बताया था कि :

> "हम भारतीय राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, परंतु हम यह चाहते हैं कि हम अन्य ब्रिटिश बाशिंदों के साथ शांति और भ्रातृत्व के साथ सम्मानपूर्वक रह सकें।"

परंतु भारतीयों को अपमानित करने के लिये 1906 में ट्रांस्वल की सरकार ने एक और कानून पारित किया। इस कानून के द्वारा प्रत्येक भारतीय के लिये, जो कि 8 वर्ष की आयु से ऊपर था, यह आवश्यक था कि वह अपना पंजीकरण कराये और पंजीकरण फार्म पर अपने अंगूठे और उँगलियों की छाप दे। पंजीकरण कराने के लिए एक निश्चित तारीख दी गयी थी और उस तारीख तक यदि कोई अपना पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे एक अपराध मानते हुए सजा दी जा सकती थी या देश से निकाला भी जा सकता था। भारतीयों से किसी भी समय पंजीकरण सर्टीफिकेट दिखाने को कहा जा सकता था और पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय के घर में घुस कर उसके कागजात देख सकते थे। इस बिल का विरोध करने के लिए गांधी जी ने जोहन्सबर्ग के अंपायर थियेटर में एक सभा आयोजित की। अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए भारतीय किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तत्पर थे। इस सभा में गांधी जी ने कहा था कि :

> "मेरे जैसे लोगों के लिए केवल एक ही रास्ता सामने है, हम मर सकते हैं लेकिन ऐसे कानून के आगे झुकेंगे नहीं। शायद यह रास्ता न अपनाना पड़े, परंतु यदि और लोग पीछे हटते हैं और मैं अकेला भी रह जाता हूँ तो भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूँगा।"

अंततः इस सभा में हिस्सा ले रहे प्रत्येक भारतीय ने भगवान को साक्षी मानते हुए यह शपथ ली कि यदि इस विधेयक को कानून बनाया गया तो वे इसके आगे नहीं झुकेंगे।

चित्र 22 : दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रही गांधी

भारतीयों के कड़े विरोध के बावजूद ट्रांसवाल की विधानसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। इस समय गांधी जी एक प्रतिनिधि मंडल लेकर इस उद्देश्य से इंग्लैंड गये कि वे अंग्रेज़ी सरकार से इस बिल को अस्वीकार (वीटो) करवा देंगे, परन्तु यह प्रयास असफल रहा। यह घोषणा की गई कि अप्रैल, 1907 से यह नया कानून लागू होगा। इस विधेयक के विरुद्ध संघर्ष के लिए गांधी जी ने आंदोलन की एक नई तकनीक–सत्याग्रह–अपनाई। पैसिव रेसिसटेन्स ऐसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गयी। इस संगठन ने भारतीय मूल के लोगों से यह अपील की कि वे पंजीकरण कार्यालयों का बहिष्कार करें। ट्रांसवाल सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद 30 नवम्बर 1907 तक केवल 519 भारतीयों ने अपने को पंजीकृत कराया। पंजीकरण विधेयक का विरोध करने के कारण गांधी जी को 2 माह की साधारण कैद की सज़ा दी गयी।

इस समय गांधी जी ने जनरल स्मट्स से मुलाकात करना स्वीकार किया और उनके एक मित्र अलबर्ट कार्टराइट ने इस मुलाकात का आयोजन किया। इस मुलाकात के दौरान जनरल स्मट्स ने गांधी जी को यह आश्वासन दिया कि यदि भारतीय स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कर लें तो इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस पर विचार करने के लिए भारतीयों की एक सभा बुलाई। कई भारतीयों ने गांधी जी द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने पर आपत्ति प्रकट की, क्योंकि उन्हें जनरल स्मट्स से किसी भी प्रकार के न्याय की आशा नहीं थी। कुछ भारतीयों ने तो गांधी जी पर यह आरोप भी लगाया कि उन्हें जनरल स्मट्स ने कोई लालच दे दिया था। अगले दिन जब गांधी जी स्वैच्छिक रूप से अपना पंजीकरण कराने के लिए पंजीकरण कार्यालय की ओर जा रहे थे तो एक पठान ने उन पर हमला भी किया।

शीघ्र ही स्मट्स अपने शब्दों से पीछे हट गया और उन्होंने कानून को रद्द करने से इंकार कर दिया। भारतीयों ने स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए जब अपनी अर्जी सरकार से वापस मांगी तो सरकार ने उन्हें देने से इंकार कर दिया। गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने यह घोषणा की कि भारतीय अपना पंजीकरण सर्टीफिकेट जलाएँगे और इसके जो भी परिणाम निकलें उन्हें शांति के साथ भोगेंगे। अनेक भारतीयों ने पंजीकरण सर्टीफिकेट को आग की लपटों के हवाले कर दिया। इसी समय ट्रांसवाल सरकार ने एक अप्रवासी कानून बनाया जिसका उद्देश्य भारत से आकर बसने वाले नये लोगों को रोकना था। गांधी जी ने यह घोषणा की कि सत्याग्रह आंदोलन इस कानून के विरुद्ध भी होगा।

नैटल में रह रहे अनेक भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में सत्याग्रहियों से कड़ा श्रम कराया गया। जेल में गांधी जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। परंतु ट्रांसवाल सरकार की दमनकारी नीति गांधी जी और उनके आंदोलन को कमज़ोर करने में असफल रही। सत्याग्रही छोटे-छोटे समूहों में

गिरफ्तारियाँ देते रहे। उनके परिवारों को सत्याग्रह फंड द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी। वास्तव में सत्याग्रह सभा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के कई अन्य धनिक, जैसे कि रतन, टाटा, हैदराबाद के निज़ाम आदि पैसा दे रहे थे। आगे चलकर सत्याग्रही टालस्टाय फार्म नामक स्थान पर रहने लगे, यहाँ पर वे साधारण जीवन व्यतीत करते थे और वह सब सीखते थे, जो कि एक सच्चे सत्याग्रही के लिए आवश्यक था।

चित्र 23 : दक्षिण अफ्रीका में विरोध करते हुए भारतीय

बोध प्रश्न-1

1 लगभग 10 पंक्तियों में यह लिखिए कि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

2 निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही या गलत हैं? सही (√) या गलत (×) का निशान लगाएँ।

i) दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पर रंग भेद का अनुभव नहीं किया।

ii) इंडियन नैटल ओरगेनाइज़ेशन की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि भारतीयों में भाई-चारे की भावना जागृत की जा सके।

iii) लगभग 5 हज़ार यूरोपियों ने नैटल में गांधी जी का समर्थन किया।

iv) पंजीकरण विधेयक गांधी जी के कहने पर लागू किया गया था।

16.2.3 अभियान-2

1913 में एक और प्रकोप भारतीयों पर हुआ। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय के द्वारा उन सभी शादियों को रद्द घोषित कर दिया जो कि ईसाई धर्म विधि से नहीं हुई

थीं और जिनका विवाह कार्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में इस निर्णय के द्वारा समस्त हिन्दू-मुस्लिम और पारसी शादियाँ अवैध हो गयीं और इस प्रकार इन शादियों से उत्पन्न संतान भी अवैध हो जानी थी। गांधी जी ने इस निर्णय के दुष्परिणामों के विरुद्ध अपील की और कानून में परिवर्तन लाने को कहा, परंतु तत्काल इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। अतः गांधी जी ने अपने संघर्ष को तीव्र कर दिया। अनेक भारतीय महिलाओं ने, जिनका सम्मान दाव पर लगा हुआ था, विरोध कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 6 नवम्बर, 1913 के दिन गांधी जी ने ट्रांसवाल की सीमा को पार करने के लिए एक यात्रा प्रारंभ की। उनके साथ जो सत्याग्रही थे उनमें 127 स्त्रियाँ, 57 बच्चे और 237 पुरुष थे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की दमनकारी नीति के बावजूद आंदोलन में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आई। भारत में इस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने इस उद्देश्य से सारे देश का दौरा किया कि गांधी जी के आंदोलन के लिए सहयोग जुटाया जा सके। भारत के वायसराय लार्ड हार्डिंग ने भी इस समय यह माँग की कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध अत्याचार करने का जो आरोप है, उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। इस प्रकार लार्ड हार्डिंग की लंदन और प्रेटोरिया में आलोचना की गयी।

अंततः स्मट्स ने समझौता करना चाहा। वार्तालाप प्रारंभ हुआ और एक ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये गये जो कि भारतीयों की मुख्य समस्याओं का निदान करता था। स्वतंत्र श्रमिकों पर से 3 पाउंड का कर हटा लिया गया। भारतीय तौर तरीकों से किये गये विवाहों को मान्यता प्राप्त हुई और केवल दक्षिण अफ्रीका में आने के लिए ही आदिवासी सर्टिफिकेट पर अंगूठे का निशान लगाया जाना था। इस प्रकार लगभग 8 वर्ष तक चलने वाले सत्याग्रह को वापस ले लिया गया।

गांधी जी को ब्रिटिश साम्राज्य से सहानुभूति थी और 1906 तक उनकी अंग्रेजी न्याय में अत्यधिक आस्था थी। 1899 में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने इंडियन एम्बुलैंस कार्पस

चित्र 24 : दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी

संगठित कर अंग्रेजी सरकार की सहायता भी की थी परंतु शीघ्र ही अंग्रेजों के प्रति उनका यह मोह दूर होने लगा क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी याचना के प्रति अंग्रेज़ों का रवैया बाहरी व्यक्ति का था। अपने साथियों और सहयोगियों के कष्टों को दूर करने के लिए

सत्याग्रह उनके लिए एक अंतिम विकल्प था। परंतु अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति उनकी सहानुभूति समाप्त नहीं हुई। उनकी सहानुभूति इस आशा पर आधारित थी कि एक न एक दिन अंग्रेज उन नियमों को व्यावहारिक रूप अवश्य देंगे जिनको कि सैद्धांतिक आधार पर मानते थे।

दक्षिण अफ्रीका में हुए संघर्ष ने गांधी जी के जीवन और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कई प्रकार से प्रभावित किया। उदाहरण के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह की तकनीक गांधी जी का मुख्य अस्त्र बन गयी जिस पर आगे चलकर गांधी जी और कांग्रेस ने भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेज इतिहासकार ज्युडिथ ब्राउन ने यह धारणा व्यक्त की कि सत्याग्रह गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया मात्र एक चतुराई से परिपूर्ण हथियार था। लेकिन यदि हम गांधी जी के संघर्ष पर संपूर्ण दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी को सत्याग्रह में पूर्ण आस्था थी और यह किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनायी गयी रणनीति मात्र नहीं थी। गांधी जी के अनुभवों का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव यह महसूस करना था कि हिंदू और मुस्लिम एकता अति आवश्यक है और इसे प्राप्त करना सम्भव भी है। इसी कारण उन्होंने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में हिंदू-मुस्लिम एकता को अत्यधिक महत्व दिया। इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गांधी जी किसी एक क्षेत्र के या किसी धार्मिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि नहीं थे वरन् वे संपूर्ण भारतीय जनता के नेता थे। वास्तव में यह इस प्रकार की उनके प्रति धारणा का बन जाना ही था जो कि भारतीय राजनीति में उनके आगमन में सहायक सिद्ध हुआ।

बोध प्रश्न-2

1 निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही या गलत हैं। (✓) या (×) का निशान लगाएँ।
   i) 1913 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने शादियों को वैध करार दिया।
   ii) दक्षिण अफ्रीका में चलाये जा रहे आंदोलन के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में समर्थन हासिल करने का प्रयास किया।
   iii) अंग्रेजी न्याय में गांधी जी की कोई आस्था नहीं थी।

2 दक्षिण अफ्रीका में किये गये संघर्ष ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। लगभग 5 पंक्तियों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

16.3 भारत में गांधी जी का आगमन

भारत आने से पहले गांधी जी इंग्लैंड गये और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने भारतीयों का एक एम्बूलैंस दल संगठित करने का निर्णय लिया परंतु कुछ समय उपरांत अंग्रेज अधिकारियों से मतभेद उत्पन्न होने के कारण वे इससे अलग हो गये। 1915 में उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद का खिताब भी दिया गया। 9 जनवरी 1915 के दिन जब गांधी जी भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में उनके राजनीतिक गुरू थे। गोखले चाहते थे कि गांधी 'सर्वेन्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी' में शामिल हों पर इस सोसाइटी के कुछ सदस्यों के कड़े विरोध के कारण गांधी जी इसके सदस्य नहीं बन पाए। गोखले ने गांधी से इस समय यह वादा लिया कि भारत में राजनीतिक विषयों पर वे एक वर्ष तक अपना मत जाहिर नहीं करेंगे। वायदे का पालन करते हुए 1915 और 1916 में गांधी जी ने अपना अधिकांश समय भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा करने में बिताया। वे सिन्ध, रंगून, बनारस और मद्रास आदि स्थानों पर गये। उन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शांतिनिकेतन की भी यात्रा की और वे हरिद्वार तथा कौमुदी मेले में भी गये। इन सब यात्राओं से यह लाभ

हुआ कि गांधी जी को भारतीयों और उनकी स्थिति के संदर्भ में अत्यधिक जानकारी हासिल हुई। 1915 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ पर वे अपने निकट सहयोगियों के साथ रहते थे जिनको एक सच्चे सत्याग्रही का प्रशिक्षण दिया जाता था।

इस समय गांधी जी राजनीतिक मुद्दों में अधिक दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अधिकांश सभाओं में वे केवल अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और जो विचारधारा उनकी वहाँ पर बनी थी, के बारे में ही बोलते थे। जिस समय एनीबेसेंट ने गांधी जी से "होम रूल लीग" की स्थापना में सहयोग देने के लिए कहा तो उन्होंने यह कह कर इनकार कर दिया कि वे युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार को परेशान नहीं करना चाहते। गांधी जी ने 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में भी हिस्सा लिया, लेकिन इस समय स्वायत्त शासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने को उन्होंने टाल दिया। कांग्रेस में गरम दल को वापस शामिल करने के जो एकता के प्रयास हो रहे थे उनका गांधी जी ने स्वागत किया, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे किसी गुट में नहीं हैं। उन्होने संगठित कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया, परंतु ऐसे मुद्दों पर बोलने से इनकार कर दिया जिनसे यह अभिप्राय लगाया जा सकता था कि वे किसी विशिष्ट गुट से संबद्ध हैं। यहाँ पर उन्होंने केवल अनुबंधित मजदूरों की भर्ती के संबंध में भाषण दिया और इस प्रथा की समाप्ति की माँग के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया।

16.4 भारतीय राजनीति में प्रादुर्भाव

भारतीय राजनीति में गांधी जी का सक्रिय प्रादुर्भाव 1917-18 के काल में हुआ जो कि तीन स्थानीय समस्याओं से संबंधित था। ये समस्याएँ थीं; चंपारन और खेड़ा में किसानों का संघर्ष और अहमदाबाद में मज़दूरों का संघर्ष। यहाँ पर गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल किया और अंततः इन्हीं स्थानीय संघर्षों के माध्यम से वे संपूर्ण भारत के नेता के रूप में उभर कर आये।

16.4.1 चंपारन

उत्तरी बिहार के तिरहुत मंडल में चंपारन एक ऐसा स्थान था जहाँ पर कि एक लंबे समय से कृषकों में असंतोष फैला हुआ था। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से नील के बागान और फैक्टरियाँ स्थापित की थीं। 1916-17 में चंपारन का अधिकांश क्षेत्र केवल तीन भू-स्वामियों के आधीन था। ये भू-स्वामी—बेतिया, राम नगर और मधुबन जागीरों के मालिक थे। इनमें बेतिया की जागीर सबसे बड़ी थी और उसमें लगभग 1500 गाँव आते थे। भू-स्वामी स्वयं जागीर की देखभाल न कर उसे ठेके पर दे देते थे और ठेकेदारों में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग यूरोपीय बागान मालिकों का था। यहाँ पर असंतोष का मुख्य कारण यह था कि किसानों को भूमि पर स्थाई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें बागान मालिकों से जमीन के पट्टे लेने होते थे और ऐसे पट्टे उन्हें इस शर्त पर दिये जाते थे कि वे एक निश्चित भू-भाग पर केवल नील की ही खेती करेंगे। इसके बदले में बागान मालिक किसानों को कुछ अग्रिम धन राशि भी देते थे।

जिस व्यवस्था के अन्दर नील की खेती की जाती थी वह "तिन-कथिया" कहलाती थी। इसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर केवल नील की ही खेती करनी होती थी और अधिकांशतः उसकी भूमि के सबसे अधिक उपजाऊ हिस्से पर उसे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। तिन-कथिया व्यवस्था में यद्यपि 1908 में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गयी थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही उपजाने के लिए बाध्य करते थे और यह धनराशि बहुत कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की माँग गिर गयी थी। चंपारन के अधिकांश बागान मालिकों ने यह महसूस किया था कि नील के व्यापार से अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। परंतु मुनाफे को बनाये रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। इसके

लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दें तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी और कई प्रकार के अवैध कर किसानों पर लगाये।

जब 1916 में लखनऊ में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में चंपारन के किसानों की समस्याओं का जिक्र किया गया तो गांधी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु अंततः चंपारन के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारन आने के लिए बाध्य किया। जब गांधी जी मोतीहारी (चंपारन का जिला-कार्यालय) पहुँचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। उन्हें चंपारन छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहाँ की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए और गांधी जी को जानकारी हासिल कराने में सहायता दी जाए। इसके साथ-साथ गांधी जी को भी यह चेतावनी दी गयी कि वे कोई बखेड़ा खड़ा न करें। परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वीकृति दे दी गयी।

सरकार ने "चंपारन एगरेरियन कमेटी" का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के एक सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि तिन-कथिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाये और इसके साथ ही कई अन्य प्रकार के कर भी समाप्त कर दिये जाएँ जो कि किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाये गये लगान की दरों में कमी की गयी और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की गयी थी उसका 25 प्रतिशत किसानों को लौटाया जाना था। कमेटी की इन सिफारिशों को 1919 के 'चंपारन एगरेरियन एक्ट' के रूप में पारित किया गया।

यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे कि राजेन्द्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि। स्थानीय महाजनों और गाँवों के मुख्तियारों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया था लेकिन सर्वाधिक सहयोग किसानों और उनके स्थानीय नेताओं ने दिया था। गांधी जी ने स्वयं वहाँ पर बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया। वे पैदल या बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे और किसानों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करते थे।

EMERGENCE OF GANDHI

World War I ended at last and the peace, instead of bringing us relief and progress, brought us repressive legislation and Martial Law in the Punjab. A bitter sense of humiliation and a passionate anger filled our people. All the unending talk of constitutional reform and Indianization of the services was a mockery and an insult when the manhood of our country was being crushed and the inexorable and continuous process of exploitation was deepening our poverty and sapping our vitality. We had become a derelict nation.

Yet what could we do, how change this vicious process? We seemed to be helpless in the grip of some all-powerful [illegible]ster; our limbs were paralyzed, our minds deadened....

And then Gandhi came. He was like a powerful current of fresh air that made us stretch ourselves and take [illegible] breaths, like a beam of light that pierced the darkness and removed the scales from our eyes, like a whirlwind [illegible] upset many things but most of all the working of people's minds. He did not descend from the top, he seemed to emerge from the millions of India, speaking their language and incessantly drawing attention to them and their appalling condition. Get off the backs of these peasants and workers, he told us, all you who live by their exploitation, get rid of the system that pr[illegible] this poverty and misery. Political freedom [illegible] new sh[a]pe then and acquired a new content. Much [illegible] we only partially accepted or sometimes did not accept at all. But all this was secondary. The essence of his teaching was fearlessness and truth and action allied to these, always keeping the welfare of the masses in view. The greatest gift for an individual or a nation, so we had been told in our ancient books, was *abhaya*, fearlessness, not merely bodily courage but the absence of fear from the mind. ... But the dominant impulse in India under British rule was that of fear, pervasive, oppressing, strangling fear; fear of the army, the police, the widespread secret service; fear of the official class; fear of laws meant to suppress and of prison, fear of the landlord's agent; fear of the money-lender; fear of unemployment and starvation, which were always on the threshold. It was against this all-pervading fear that Gandhi's quiet and determined voice was raised: Be not afraid ....

So, suddenly as it were, the black pall of fear was lifted from the people's shoulders, not wholly of course, but to an amazing degree. As fear is close companion to falsehood, so truth follows fearlessness. The Indian people did not become much more truthful than they were, nor did they change their essential nature overnight; nevertheless a sea-change was visible as the need for falsehood and furtive behaviour lessened. It was a psychological change, almost as if some expert in psycho-analytical method had probed deep into the patient's past, found out the origins of his complexes, exposed them to his view, and thus rid him of that burden.

Jawaharlal Nehru

चित्र 25 : गांधी जी के आगमन पर जवाहरलाल नेहरू के विचार

16.4.2 खेड़ा

किसानों के पक्ष में गांधी जी ने दूसरी बार हस्तक्षेप गुजरात के खेड़ा जिले में किया। यहाँ पर उनकी सत्याग्रह की तकनीक को वास्तव में एक इम्तहान से गुजरना पड़ा। खेड़ा अधिक उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ पर उगने वाली खाद्य फसलों, तंबाकू और रूई को अहमदाबाद में एक सुलभ बाजार प्राप्त था। यहाँ पर कई धनी किसान थे जो कि पट्टीदार कहलाते थे। इसके अतिरिक्त कई छोटे किसान और भूमिहीन कृषक भी यहाँ पर रहते थे।

1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ़ की फ़सल को नुकसान हुआ। इसी समय मिट्टी का तेल, लोहा, कपड़ों और नमक की कीमतों में भी वृद्धि हुई जिसने कि किसानों के जीवन स्तर को प्रभावित किया। किसानों ने इस समय यह माँग की कि पूरी फसल न होने के कारण लगान माफ किया जाए। लगान कानून के अंतर्गत ऐसा प्रावधान मौजूद था कि यदि कुल उपज सामान्य उपज के मुकाबले केवल 25 प्रतिशत हो तो पूरा लगान माफ़ किया जा सकता था। बंबई के दो वकीलों, श्री वी.जे. पटेल और जी.के. पारख ने इस संबंध में छान-बीन की और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उपज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था, परंतु सरकार इससे सहमत नहीं थी। खेड़ा के कलक्टर ने यह निर्णय लिया कि लगान माफ़ करने की माँग का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी धारणा यह थी कि किसानों ने यह माँग नहीं कि थी वरन् इसके लिए उन्हें बाहर के लोगों ने भड़काया था जो कि होम रूल लीग और गुजरात सभा से संबंध रखते थे। गांधी जी स्वय इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे। सच्चाई यह थी कि यहाँ आंदोलन प्रारंभ करने की पहल न तो गांधी जी ने ही की थी और न ही अहमदाबाद के राजनीतिज्ञों ने। यह माँग तो वास्तव में मोहन लाल पाण्डे जैसे स्थानीय गाँव के नेताओं ने उठायी थी।

छान-बीन करने के बाद गांधी जी ने यह धारणा व्यक्त की कि सरकारी अफ़सरों ने उपज का बढ़ा-चढ़ा कर मूल्य लगाया था और किसानों का यह वैध अधिकार था कि वे लगान न दें।

इसमें उन्हें कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही थी लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ हिचकिचाहट के बाद गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि 22 मार्च, 1918 से सत्याग्रह का प्रारंभ नदियाद में एक सभा करके किया गया। इस सभा में गांधी जी ने किसानों को यह राय दी कि वे अपना लगान न दें। किसानों के उत्साह को बढ़ाने के लिए और उनके हृदय से सरकार का भय निकालने के लिए गांधी जी ने अनेक गाँवों का दौरा किया।

इस सत्याग्रह में इन्दुलाल याज्ञिक, बिट्ठल भाई पटेल और अनसुइया साराभाई ने भी गांधी जी की मदद की। 21 अप्रैल के दिन सत्याग्रह अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। 2,337 किसानों ने यह शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। अधिकांश पट्टाधारियों ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया परंतु सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के द्वारा कुछ गरीब किसानों को लगान देने के लिए बाध्य किया। इस समय रबी की फसल अच्छी हुई जिससे कि लगान न देने का मुद्दा कुछ कमजोर पड़ा। गांधी जी यह समझने लगे थे कि किसान सत्याग्रह से थकने लगे हैं। जब सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जानी चाहिए जो कि उसको दे सकते हैं और गरीब किसानों पर इसके लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की। वास्तव में इस सत्याग्रह का सब गाँवों पर समान असर नहीं पड़ा था। खेड़ा के 559 गाँवों में से केवल 70 गाँवों में ही यह सफल रहा था और यही कारण था कि गांधी जी ने केवल थोड़ी सी रियायत मिलने पर ही सत्याग्रह वापस ले लिया था लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में गांधी जी के सामाजिक आधार का विकास हुआ था।

16.4.3 अहमदाबाद

गांधी जी ने अपना तीसरा अभियान अहमदाबाद में छेड़ा, जब उन्होंने मिल मालिकों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष में हस्तक्षेप किया। अहमदाबाद, गुजरात के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा था परंतु मिल मालिकों को अक्सर श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा था और उन्हें आकर्षित करने के लिए वे मजदूरी की ऊँची दर देते थे। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली। अधिकांश श्रमिक शहर छोड़कर गाँव जाने लगे। श्रमिकों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उन्हें "प्लेग बोनस" देने का निर्णय किया जो कि कभी-कभी साधारण मजूरी का लगभग 75% होता था। जब यह महामारी समाप्त हो गयी तो मिल मालिकों ने इस भत्ते को समाप्त करने का निर्णय लिया। श्रमिकों ने इसका विरोध किया। श्रमिकों कि धारणा थी कि युद्ध के दौरान जो महँगाई हुई थी, यह भत्ता उसकी भी पूर्ति करता था। मिल मालिक 20% की वृद्धि देने को तैयार थे, परंतु मूल्य वृद्धि को देखते हुए श्रमिक 50% की वृद्धि माँग रहे थे।

गुजरात सभा के एक सचिव गांधी जी को अहमदाबाद की मिलों में कार्य करने की दशाओं के बारे में सूचित करते रहते थे। एक मिल मालिक अम्बालाल साराभाई से उनका व्यक्तिगत परिचय था, क्योंकि उसने गांधी के आश्रम के लिए धनराशि दी थी। इसके अतिरिक्त अम्बालाल की बहन अनसुइया साराभाई गांधी जी के प्रति आदर भाव रखती थी। गांधी जी ने अम्बालाल साराभाई से विचार-विमर्श करने के उपरांत इस समस्या में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। श्रमिक और मिल मालिक इस बात पर सहमत हो गए कि पूरी समस्या को एक मध्यस्थता कराने वाले बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाए जिसमें कि तीन प्रतिनिधि मज़दूरों के हों और तीन मिल मालिकों के। अंग्रेज़ कलेक्टर इस बोर्ड के अध्यक्ष होने थे। गांधी जी इस बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे, परंतु अचानक मिल मालिक बोर्ड से पीछे हट गये। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि गांधी जी को श्रमिकों की तरफ से कोई अधिकार नहीं दिया गया था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि श्रमिक इस बोर्ड के निर्णय को स्वीकार करेंगे। 22 फरवरी से मिल मालिकों ने ताला बंदी की घोषणा की।

ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने पूरी स्थिति का विस्तृत रूप से अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की और उनके द्वारा दी जा रही मजूरी की दरों की तुलना बंबई में दी जा रही मजूरी की दरों से की। इस अध्ययन के उपरांत गांधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मजदूरों को 50% के स्थान पर 35% बढ़ोत्तरी की माँग करनी चाहिए। गांधी जी ने मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। श्रमिकों से यह शपथ लेने को कहा गया कि जब तक मजूरी में 35% वृद्धि नहीं होती। वे काम पर नहीं जाएंगे और शांतिपूर्वक सत्याग्रह करते रहेंगे। अनेक स्थानों पर सभाएँ हुईं और गांधी जी ने इनमें भाषण दिये। इस स्थिति के ऊपर उन्होंने कुछ लेख भी लिखे।

12 मार्च के दिन मिल मालिकों ने यह घोषणा की कि वे ताला बंदी हटा रहे हैं और उन श्रमिकों को कार्य पर वापस लेंगे जो कि 20% वृद्धि स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत 15 मार्च को गांधी जी ने यह घोषणा की कि जब तक कोई समझौता नहीं होता वे भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस समय गांधी जी का उद्देश्य यह था कि जो मजदूर अपनी शपथ के बावजूद काम पर वापस जाने की सोच रहे थे उन्हें उससे रोका जा सके। अंततः 18 मार्च के दिन एक समझौता हुआ, इसके अनुसार, श्रमिकों को उनकी शपथ को देखते हुए पहले दिन की मजूरी 35% वृद्धि के साथ हासिल होनी थी और दूसरे दिन उन्हें 20% की वृद्धि, जो कि मिल मालिकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही थी, मिलनी थी। तीसरे दिन ही तब तक, जब तक कि एक मध्यस्थता के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता उन्हें 27½% की वृद्धि मिलनी थी। अंततः मध्यस्थ ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानते हुए मजदूरों के पक्ष में 35% की वृद्धि का निर्णय दिया।

बोध प्रश्न-3

1 लगभग 10 पंक्तियों में चंपारन के किसान आंदोलन के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण के बारे में लिखें।

....

....

....

....

....

2 अहमदाबाद के श्रमिकों की क्या समस्याएँ थीं? लगभग 5 पंक्तियों में उत्तर दें।

....

....

....

....

....

3 निम्नलिखित में कौन-से वक्तव्य सही या गलत हैं। (✓) या (×) का निशान लगाएँ।

i) गांधी जी होम रूल लीग में शामिल हो गये थे।

ii) गांधी जी कांग्रेस में किसी भी गुट में शामिल नहीं हुये।

iii) गांधी जी को चंपारन राजकुमार शुक्ल लाये थे।

iv) खेड़ा के किसानों को सरकार से कोई शिकायत नहीं थी।

16.5 रौलट सत्याग्रह

1917-18 में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी मुद्दों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने ऐनीबीसेंट की नज़र बंदी का विरोध किया था और अली बंधुओं (मुहम्मद अली और शौकत अली), की जेल से रिहाई की भी माँग की थी। अली बंधु 'खिलाफत' को लेकर गिरफ्तार किये गये थे। उस समय के अन्य राजनीतिक नेताओं की भाँति गांधी जी ने सुधार प्रस्तावों में कोई विशेष रुचि नहीं ली थी लेकिन जिस समय अंग्रेजी सरकार ने रौलट ऐक्ट को पारित करने का निर्णय लिया तो गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का निर्णय लिया।

16.5.1 रौलट ऐक्ट

1917 में भारतीय सरकार ने जस्टिस सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के कार्यों की जांच-पड़ताल करते हुए उनके दमन के लिये कानून प्रस्तावित करना था। स्थिति का जायजा लेने के उपरांत रौलट कमेटी ने कानून

में कई प्रकार के परिवर्तन किये जाने का सुझाव रखा। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय काउंसिल के सम्मुख दो विधेयक 6 फरवरी, 1919 के दिन प्रस्तुत किये। सरकार का यह दावा था कि षड्यंत्रकारी अपराधों को रोकने के लिए यह विधेयक केवल अस्थायी आधार पर अपनाये जा रहे हैं।

ये विधेयक वास्तव में जो प्रतिबंध युद्ध के दौरान लगाये गये थे उन्हें स्थाई रूप देने के उद्देश्य से प्रेरित थे। इनके अंतर्गत अपराधियों पर एक विशेष न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता था जिसमें कि तीन हाई कोर्ट के जज सदस्य होने थे। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं था और न्यायालयों की कार्यवाही भी खुले तौर पर नहीं होनी थी। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ़्तार किया जा सकता था या उसकी तलाशी ली जा सकती थी। बिना मुकदमा चलाये ही किसी भी व्यक्ति को दो वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादियों की यह धारणा थी कि यह बिल उस गैर सरकारी और सरकारी जनमत को संतुष्ट करने के लिए लाये गये थे जिसने कि मोन्टेग्यू सुधार प्रस्तावों का विरोध किया था।

16.5.2 आंदोलन

सारे देश में इन बिलों की आलोचना की गयी। गांधी जी ने भी इनके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उनके अनुसार जो शक्तियाँ सरकार को दी जा रही थीं वे खतरे से खाली नहीं थीं और वाइसराय को बहुत पहले से ही आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त थीं। उन्होंने यह भी कहा कि ये ऐसे दमनकारी बिल हैं जो कि सुधारों के सभी प्रस्तावों को रद्द कर देते हैं। गांधी जी केवल बिलों के प्रावधान के ही विरोधी नहीं थे बल्कि उस प्रक्रिया के भी विरोधी थे जिसमें कि जनमत की अवहेलना करते हुए इन्हें लागू किया जाना था। 24 फ़रवरी 1919 के दिन बंबई में इन बिलों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का संगठन किया। इस

THE INDEPENDENT, THURSDAY, MARCH 20, 1919

IMPERIAL LEGISLATIVE COUNCIL.

BLACK BILL NO. I "PASSED."

THE HON. MR. SARMA RESIGNS.

SOLEMN MOCKERY OF THE DEBATE.

चित्र 26 : रौलट ऐक्ट पर एक अंग्रेजी अखबार में टिप्पणी

सभा के सदस्यों ने यह शपथ ली कि वे अत्यन्त ही सभ्य तरीके से, जिनका कि निर्णय एक कमेटी द्वारा लिया जाएगा, इन बिलों का विरोध करेंगे और इस संघर्ष में वे सच्चाई का रास्ता अपनाते हुए किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहेंगे। सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ करते हुये गांधी जी ने यह कहा था : "मेरा यह पक्का विश्वास है कि हमें कष्ट सहकर ही अपनी मुक्ति प्राप्त होगी, न कि अंग्रेजों द्वारा टपकाये गये सुधारों से। वह क्रूर शक्ति इस्तेमाल करते हैं जबकि हम आत्मा की शक्ति।"

सारे देश में विरोध के बावजूद सरकार अपने निर्णय पर अड़ी रही। समस्त गैर सरकारी सदस्यों द्वारा इनके खिलाफ़ मत दिये जाने के बावजूद काउंसिल ने एक बिल पारित कर दिया। 21 मार्च, 1919 के दिन वाइसराय ने बिल को अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस समय उदारवादी नेताओं के गुट ने जिसमें कि सर डी.ई वादी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री शामिल थे, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किये जाने का विरोध किया। उनका तर्क था कि सत्याग्रह सुधारों की प्रक्रिया में बाधा डालेगा। वे यह भी समझते थे कि आम नागरिक सभ्य तरीके से रौलट ऐक्ट का विरोध नहीं कर पायेगा। ऐनीबीसेंट ने भी सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि वह यह समझती थी कि ऐसा करना खतरनाक होगा।

चित्र 27 : जलियाँवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान

परंतु होम रूल लीग में जो युवा सदस्य थे उन्होंने गांधी को अपना समर्थन दिया। वास्तव में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युवा वर्ग ही सबसे आगे आया। लखनऊ के अब्दुल बारी और कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी गांधी जी को अपना समर्थन दिया। मुहम्मद अली जिन्ना ने भी रौलट बिल का तीव्र विरोध किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि वह भारत की जनता पर यह "कानून विहीन कानून" थोपती है तो इसका भयंकर परिणाम होगा।

सत्याग्रह का प्रारंभ करने के लिए गांधी जी ने देशवासियों को हड़ताल करने को कहा। इस दिन कोई कार्य नहीं होना था। जनता को उपवास रखना था। प्रार्थना करनी थी और इस प्रकार बिलों का विरोध करना था। आरंभ में हड़ताल की तिथि 30 मार्च रखी गयी थी परंतु बाद में इसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न नगरों में हड़ताल को सफलता मिली। दिल्ली में 30 मार्च के दिन ही हड़ताल की गयी और इस दिन पुलिस की गोली से 10 व्यक्ति मारे गये। अन्य बड़े नगरों में हड़ताल 6 अप्रैल को हुई और जनता ने व्यापक सहयोग दिया। गांधी जी ने हड़ताल को एक महान सफलता बतायी। 7 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रहियों को यह सुझाव दिया कि वे प्रतिबंधित साहित्य संबंधी कानून को और समाचार पत्रों के पंजीकरण संबंधी कानूनों को न मानें। इन कानूनों का विरोध करना, विशेष तौर से इसलिए चुना गया था क्योंकि अन्य कानूनों को व्यक्तियों द्वारा तोड़ने पर हिंसा हो सकती थी। इसके लिए 4 किताबों को, जिनमें गांधी जी कि "हिन्द स्वराज" भी शामिल थी, जिसे बंबई सरकार ने 1910 में प्रतिबंधित कर दिया था, बिक्री के लिये चुना गया।

8 तारीख को गांधी जी बंबई से दिल्ली और पंजाब के लिये रवाना हुये। सरकार ने यह माना कि उनका पंजाब आगमन खतरनाक हो सकता है। अतः दिल्ली के निकट गांधी को गाड़ी से उतारकर वापस बंबई भेज दिया गया। शीघ्र ही गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर फैल गयी। इससे बंबई में स्थिति तनावपूर्ण हो गयी और अहमदाबाद व वीरांदम में हिंसा भी हुई। अहमदाबाद में सरकार को मार्शल लॉ लगाना पड़ा।

सर्वाधिक हिंसा पंजाब में, विशेष तौर से अमृतसर में फैली। अमृतसर में जिस समय गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पहुँची तो उसी समय वहाँ के दो स्थानीय नेताओं, डॉ किचलू और डॉ सत्यपाल को भी गिरफ्तार किया गया था (10 अप्रैल)। जनता हिंसा पर उतारू हो गयी और कुछ सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी गयी। 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गयी और एक अंग्रेज़ महिला से अभद्र व्यवहार भी किया गया। शहर पर से नागरिक प्रशासन का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया। 13 अप्रैल के दिन जनरल डायर ने जलियाँवाला बाग में निहत्थे लोगों की शांतिपूर्ण सभा पर गोलियाँ चलवाईं। अधिकांश लोगों को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि सरकार द्वारा सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियाँ चलवाई थीं। डायर ने आगे चलकर यह स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य मात्र सभा को तितर-बितर करना नहीं था, वह तो जनता को मानसिक तौर से भयभीत करना चाहता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस गोली कांड में 379 व्यक्ति मारे गये थे परंतु गैर सरकारी आँकड़े इससे तीन गुना अधिक थे। 13 अप्रैल की रात को ही पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया।

16.5.3 महत्ता

यह स्पष्ट है कि रौलट ऐक्ट के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन किसी योजनाबद्ध तरीके पर आधारित नहीं था। सत्याग्रह सभा केवल ऐक्ट के विरुद्ध प्रचार हेतु साहित्य प्रकाशित कर रही थी या उसके विरुद्ध दस्तख इकट्ठे कर रही थी। एक संगठन के रूप में कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। अधिकांश क्षेत्रों में जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सामाजिक और आर्थिक शिकायतों के कारण स्वयं हिस्सा लिया था।

लेकिन एक बात स्पष्ट है कि गाँधी जी द्वारा किये गये सत्याग्रहों ने विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि यद्यपि गांधी जी ने पंजाब की यात्रा नहीं की थी तथापि इस आंदोलन में पंजाब की जनता ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया था। लेकिन यह आंदोलन अभी भी शहरों में ही तीव्र रूप ले पाया था, भारत के ग्रामीण क्षेत्र तक इसका फैलाव नहीं हो पाया था।

आंदोलन के दौरान जो हिंसा की घटना हुई थीं, विशेष तौर से अहमदाबाद में, उन्हें देखते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने यह आंदोलन शुरू करके एक महान भूल की थी क्योंकि जनता अभी सत्याग्रह के लिए आवश्यक अनुशासन को नहीं समझ पाई थी। परंतु इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह निकला कि गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आये। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में उनकी स्थिति सबसे ऊपर हो गयी और वे कांग्रेस के कार्यों को भी निर्णयात्मक रूप

से प्रभावित करने लगे। 1917 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव किया कि यद्यपि सुधारों में कुछ कमियाँ मौजूद हैं तथापि भारतीयों को उनके लागू करने में सहयोग देना चाहिए। लेकिन सितम्बर 1920 में गांधी जी ने सरकार से सहयोग की अपनी नीति बदल दी और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया।

चित्र 28 : अमृतसर कांग्रेस

बोध प्रश्न-4

1 लगभग 5 पंक्तियों में रौलट ऐक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करें।

....

....

....

....

....

2 भारतीयों की रौलट ऐक्ट के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? लगभग 10 पंक्तियों में लिखें।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

3 जलियाँवाला बाग की घटना पर पाँच पंक्तियाँ लिखें।

....

....

....

....

....

16.6 गांधी जी की विचारधारा

अब हम गांधी जी की विचारधारा के मुख्य पहलुओं पर विचार करेंगे परंतु उन पर व्याख्या करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ऐसे कई प्रभाव थे जिन्होंने गांधी जी की विचारधारा को उभारने और उसे एक निश्चित दिशा देने में योगदान दिया। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने यह स्वीकार किया है कि उनके अभिभावकों के दृष्टिकोण और उनके रहने के स्थान पर मौजूद सामाजिक और धार्मिक वातावरण ने उनको व्यापक रूप से प्रभावित किया था। उनकी प्रारंभिक विचारधारा को "वैष्णव मत" और जैन धर्म की परंपराओं ने विशेष तौर से प्रभावित किया था। गांधी जी "भगवद् गीता" से भी प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त ईसा के "पहाड़ पर उपदेश" (Sermon on the Mount), टालस्टाय, थोरो और रस्किन के लेखों ने भी उनके चिंतन को प्रभावित किया था। लेकिन इसके साथ-साथ उनकी विचारधारा के विकास और दिशा निर्धारण में सर्वाधिक योगदान, जीवन में उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों का था।

16.6.1 सत्याग्रह

गांधी जी की विचारधारा का सबसे मुख्य पहलू सत्याग्रह का था। जैसा कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि यह तरीका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया था। परंतु 1919 के उपरान्त भारत के स्वाधीनता संग्राम में यह एक महत्वपूर्ण पहलू बना। गांधी जी के अनुसार हिंसा के स्थान पर सत्याग्रह का प्रयोग स्वयं कष्ट सहकर इस प्रकार किया जाना चाहिए था कि शत्रु को अपनी बात मनवाने के लिए बदला जा सके। सत्याग्रह के विचार की व्याख्या करते हुए पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है:

> "इसमें स्वयं चुना हुआ कष्ट और विरोधियों के लिए अपमान शामिल है। यदि इसका प्रभाव पड़ता है तो इसलिए पड़ता है कि जिन ख्यालों से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें उनकी नैतिकता पर प्रभाव डाला जाता है। जिस कार्य के लिए इसे प्रयोग किया जाता है, उसके औचित्य के प्रति उनके अंदर विश्वास जगाया जाता है। उनकी शक्ति को उन्हें यह दर्शा कर कमज़ोर किया जाता है कि उनके कार्यों द्वारा जो कष्ट दूसरों को हो रहे हैं, इससे उनमें हीनता की भावना उत्पन्न हो।"

गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच अंतर किया। उन्होंने यह लिखा है कि :

> "निष्क्रिय प्रतिरोध एक कमजोर व्यक्ति का वह अस्त्र है जिसमें कि हिंसा और शारीरिक शक्ति का प्रयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के हेतु किया जाता है; जबकि सत्याग्रह शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है और इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं है।"

वास्तव में गांधी जी के लिए सत्याग्रह मात्र एक राजनीतिक अस्त्र नहीं था वरन् वह जीवन दर्शन और सिद्धांतों के व्यवहार का एक हिस्सा था। गांधी जी का यह विश्वास था कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य की खोज है और क्योंकि कोई भी वास्तविक सत्य को नहीं समझ सकता इसलिए उसे दूसरे व्यक्ति के सच की खोज में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

16.6.2 अहिंसा

अहिंसा सत्याग्रह का आधार था। गांधी जी ने लिखा:

"जब कोई व्यक्ति अहिंसात्मक होने का दावा करता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि जिसने उसको हानि पहुँचाई है उससे वह गुस्सा भी नहीं होगा। वह उसके बुरे की कामना भी नहीं करेगा; वह उसकी अच्छाई चाहेगा और वह उसको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी नहीं देगा। बुरा करने वाला चाहे किसी भी प्रकार की हानि उसे पहुँचाये वह उसे सह लेगा। अतः अहिंसा से अभिप्राय पूर्ण भोलेपन से, अहिंसा से अभिप्राय किसी के प्रति बुरी भावना रखने का पूर्ण अभाव है।"

गांधी जी ने इस बात पर महत्व दिया कि साधारण व्यक्ति को अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए। परंतु कभी-कभी गांधी जी जो निर्णय लेते थे उसमें पूर्ण अहिंसा की कमी नज़र आती थी। जैसा कि उन्होंने बार-बार यह कहा कि अन्याय के सामने कायर दिखने की अपेक्षा हिंसा बेहतर है। यहाँ पर 1918 में गांधी जी द्वारा सेना में भर्ती किये जाने के प्रयास में उनके सहयोग को उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। युद्ध के लिए भर्ती में सहयोग देना अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत था परंतु गांधी जी ने यह सहयोग इस आशा से दिया था कि युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार से भारतीयों को कुछ सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

व्यक्तिगत रूप में सत्याग्रह कई प्रकार के रूप ले सकता था जैसे कि उपवास, अहिंसात्मक धरना, विभिन्न प्रकार का असहयोग और सविनय अवज्ञा, यह जानते हुए भी कि उसके लिए कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। गांधी जी का यह पूर्ण विश्वास था कि सत्याग्रह के यह रूप सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाये गये सच्चे तरीके हैं। गांधी जी के आलोचकों ने यह धारणा व्यक्त की है कि सत्याग्रह की तकनीक को इस्तेमाल करके गांधी जी जन आंदोलनों को नियंत्रित करना चाहते थे। उनकी यह धारणा है कि पूँजीपति और जमींदार, गांधी जी के अहिंसात्मक तकनीक से प्रसन्न थे क्योंकि इसके द्वारा हिंसात्मक सामाजिक क्रांति को रोका जा सकता था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी और कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह के अस्त्र के प्रयोग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष में एक जुट किया गया।

16.6.3 धर्म

गांधी जी की विचारधारा के संदर्भ में चर्चा करते हुए धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है। गांधी जी के लिए धर्म किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय की सैद्धांतिक व्याख्या न होकर, समस्त धर्मों में निहित मूलभूत सत्य था। गांधी जी ने धर्म की व्याख्या सच्चाई के लिए संघर्ष के रूप में की। वे यह मानते थे कि धर्म को किसी व्यक्ति की निजी राय बताकर पीछे नहीं ढ़केला जा सकता क्योंकि धर्म व्यक्तियों की समस्त गतिविधियों को प्रभावित करता है। उनकी यह धारणा थी कि भारत राजनीतिक कारवाई के लिए धर्म एक आधार प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को संघर्ष का मुद्दा बनाया जिससे कि मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में लाया जा सके। परन्तु गांधी जी द्वारा "राम राज्य" जैसे धार्मिक विचारों का प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन में साम्प्रदायिकता की समस्या को हल नहीं कर पाया।

16.6.4 हिन्द स्वराज

गांधी दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू हमें उनकी पुस्तक "हिन्द स्वराज" (1909) में मिलता है। इस पुस्तक में गांधी जी ने इस बात की ओर संकेत किया है कि वास्तविक शत्रु, अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व न होकर आधुनिक पश्चिम सभ्यता है जो कि धीरे-धीरे भारत को जकड़ती जा रही थी। उनकी धारणा थी कि जो भारतीय पाश्चात्य पद्धति से शिक्षित हुए हैं, जैसे कि वकील, डाक्टर, अध्यापक और पूँजीपति, वे आधुनिक तौर तरीकों को फैला करके भारत की प्राचीन धरोहर को नष्ट कर रहे थे। इस पुस्तक में गांधी जी ने रेलगाड़ी की इस बात के लिए आलोचना की कि रेल खाद्य पदार्थों के निर्यात में सहायक है और अकाल फैलाने में सहायता देती है। स्वराज और स्वशासन को उन्होंने जीवन की एक ऐसी स्थिति माना जो कि तभी स्थाई रह सकती थी जबकि भारतीय अपनी परम्परागत सभ्यता का अनुकरण करें और आधुनिक सभ्यता से भ्रष्ट न हों। गांधी जी ने लिखा था कि "भारतीयों की मुक्ति इसी में है कि उन्होंने जो कुछ पिछले 50 वर्षों में सीखा है उसे भुला दें। रेलगाड़ियों, तार, अस्पताल वकील, डाक्टर और इसी प्रकार की सब आधुनिक वस्तुओं को भूल जाना होगा। और तथाकथित उच्च वर्ग को साधारण किसान जैसा जीवन व्यतीत करना सीखना होगा।"

20वी शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के विचार स्वप्नदर्शी और प्रगति विरोधी प्रतीत होते हैं। परंतु वास्तव में उनके विचार गरीब किसानों और कामगारों पर हो रहे बड़े आधुनिकीकरण के दुष्प्रभावों की व्याख्या करते थे। आगे चलकर गांधी जी ने अपने सामाजिक और आर्थिक विचारों को एक निश्चित दिशा देने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने खादी, ग्रामीण पुनर्गठन और हरिजन कल्याण का कार्यक्रम रखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कार्यक्रम से गाँव के लोगों की समस्याओं का पूर्णतः हल नहीं हो पाया लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कार्यक्रम के द्वारा एक निश्चित सीमा तक गांधी जी उनकी स्थिति को सुधारने में सफल रहे। वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी ने देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतना जागृत की।

16.6.5 स्वदेशी

गांधी जी ने स्वदेशी का प्रचार किया। स्वदेशी से अभिप्राय अपने देश में बनी हुई वस्तुओं के प्रयोग से था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों के स्थान पर खादी का इस्तेमाल करना। उनकी राय में स्वदेशी के द्वारा किसान अपनी गरीबी को हटा सकते थे क्योंकि वे कताई करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते थे। विदेशी कपड़े के इस्तेमाल में कमी करके भारत से इंग्लैंड को हो रही धन की निकासी को भी रोका जा सकता था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि गांधी जी पाश्चात्य औद्योगिक सभ्यता के कड़े विरोधी थे तथापि वे भारत में उभर रहे राष्ट्रीय उद्योगों के विरोधी नहीं थे। जैसा कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है, अम्बालाल जैसे उद्योगपति के साथ गांधी जी के घनिष्ठ संबंध थे। 1922 से एक अन्य उद्योगपति जी.डी. बिरला भी गांधी जी के निकट सहयोगी रहे हैं। गांधी जी श्रम और पूँजी की परस्पर निर्भरता में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार पूँजीपति को श्रमिकों के न्यासकर्ता (Trustee) के रूप में कार्य करना चाहिए। गांधी जी ने कभी भी वर्ग आधार पर श्रमिकों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया। वे वर्ग संघर्ष के विरोधी थे। वर्गीय भेदभाव के स्थान पर वे जनता की एकता में विश्वास करते थे।

बोध प्रश्न-5

1 गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। लगभग 8 पंक्तियों में उत्तर दें।

....
....
....
....
....
....
....
....

2 अपनी पुस्तक "हिन्द स्वराज" के माध्यम से गांधी जी ने क्या संदेश दिया। लगभग 5 पंक्तियों में उत्तर दें।

....
....
....
....
....

16.7 सारांश

इस इकाई में हमने यह देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा और किस प्रकार भारतीय राजनीति में उनके आगमन से जन आंदोलन

का युग प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में गांधी जी ने स्थानीय समस्याओं को उठाया और इनके माध्यम से वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आये। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि गांधी जी की विचारधारा की सार्थकता को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं परंतु तथ्य यह है कि उनकी विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक रूप से प्रभावित किया और उसे एक निश्चित दिशा प्रदान की।

16.8 शब्दावली

अभियान : सैनिक कार्य के लिए होने वाली यात्रा. आक्रमण चढ़ाई
प्रार्दुभाव : आर्विभाव, सामने आना, प्रकट होना
सत्याग्रह : सत्य के लिए आग्रह, सत्य एवं अहिंसा पर आधारित गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन
पायदान : इक्के, टमटम आदि में लगी हुई लोहे की वस्तु जिस पर पांव रख कर यात्री चढ़ा उतरा करते हैं
पारित : (प्रस्ताव, विधेयक आदि) जो नियमानुसार ठीक मान लिया गया हो और जिसके अनुसार काम होने का हो
बाशिंदा : किसी देश में रहने वाले लोग
पंजीकृत : हिसाब या विवरण लिखने की वह पुस्तिका जिस पर नाम आदि लिखा या चढ़ाया गया हो
दमनकारी : दबाने या रोकने के लिए किया गया कार्य
जाहिर : प्रकट
पट्टेदारी : हिस्सेदारी. बराबर का अधिकारी
रियायत : छूट
मध्यस्थता : बीच में पड़कर किसी प्रकार का विवाद या विरोध दूर करना
अवहेलना : तिरस्कार, ध्यान न देना, बेपरवाही
निष्क्रिय : जिसमें कोई क्रिया, चेष्टा या व्यापार हो

16.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न-1

1 देखें उपभाग 16.2.1
2 1 (×) 2 (✓) 3 (×) 4 (×)

बोध प्रश्न-2

1 1 (×) 2 (✓) 3 (×) 4 (×)
2 देखें उपभाग 16.2.3

बोध प्रश्न-3

1 देखें उपभाग 16.4.1
2 देखें उपभाग 16.4.3
3 1 (×) 2 (✓) 3 (✓) 4 (×)

बोध प्रश्न-4

1 देखें उपभाग 16.5.1
2 देखें उपभाग 16.5.2
3 देखें उपभाग 16.5.2

बोध प्रश्न-5

1 देखें उपभाग 16.6.1
2 देखें उपभाग 16.6.4

इस खंड के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें

महात्मा गांधी, *आत्मकथा*
झारखण्डे राय, *भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन एक विश्लेषण*
सोहन सिंह जोश, *कोमागाटामारू की दुखद गाथा*
अयोध्या सिंह, *भारत का मुक्ति-संग्राम*
तारा चन्द, *भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास, खंड-3*
राहुल सांकृत्यायन, *लेनिन, एक जीवनी*
एमिल बर्न्स, *मार्क्सवाद क्या है?*
आर.एल. शुक्ला (सं), *आधुनिक भारत*